भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1045
(दिनांक 13.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

टी.वी. चैनलों के लिए दिशा-निर्देश

1045. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
प्रो सौगत रॉय:
श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि "भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022" के अनुसार सभी स्टेशनों के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य होगा;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनिवार्य निर्देशों के उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या कोई चैनल इस तरह के अनिवार्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है और इनमें से अधिकांश चैनलों के कार्य करने के लाइसेंस समाप्त कर दिए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रसारित किए जाने वाले विषयों को सूचीबद्ध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह भी सच है कि सरकार आवश्यकता पड़ने पर सामान्य सलाह जारी कर सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार प्रसारकों के लिए ऐसी सामग्री बनाने और प्रसारित करने की लागत में राजसहायता (सब्सिडी) देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) क्या दिशानिर्देश जारी करने से पहले हितधारक उद्योग समूहों के साथ परामर्श किया गया था और यदि हां, तो उन तारीखों को दर्शाने वाला विवरण क्या है जब ये परामर्श आयोजित किए गए थे?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): जी, हां। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2022 जारी किए हैं जो इस मंत्रालय की वेबसाइट https://mib.gov.in/broadcasting/broadcasting-codes-guidelines-and-policies पर उपलब्ध हैं।

(ख): भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2022 के खंड 35 में यह प्रावधान है कि इन दिशानिर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंक करने के लिए अनुमति रखने वाली कंपनी/एलएलपी राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में कम से कम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण शुरू कर सकती है।

(ग): इस प्रावधान का उद्देश्य जनहित में राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर जागरूकता फैलाना है।

(घ): दिशानिर्देश के तहत इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक अनुपालन और स्व-प्रमाणन मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।

(ङ): इन दिशा-निर्देशों के तहत किसी चैनल को अपलिंक करने और भारत में इसकी डाउनलिंकिंग (भारत में केवल डाउनलिंक किए गए विदेशी चैनलों के अलावा) के लिए अनुमति प्राप्त कंपनी/एलएलपी निम्नलिखित सहित राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों पर एक दिन में 30 मिनट की न्यूनतम अवधि के लिए लोक सेवा प्रसारण कर सकती है, अर्थात् -

(i) शिक्षा और साक्षरता का प्रसार;

(ii) कृषि और ग्रामीण विकास;

(iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी;

(v) महिलाओं का कल्याण;

(vi) समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण;

(vii) पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा; तथा

(viii) राष्ट्रीय एकता

उपरोक्त सूची व्यापक नहीं है और अन्य विषय जो राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के हैं, वे भी लोक सेवा प्रसारण के दायित्व के तहत माने जाने के पात्र हो सकते हैं।

(च): दिशानिर्देशों के खंड 35(3) के अनुसार, केंद्र सरकार समय-समय पर चैनलों को राष्ट्रीय हित और सामाजिक प्रासंगिकता की सामग्री के प्रसारण के लिए सामान्य एडवाइजरी जारी कर सकती है और चैनल उसका अनुपालन करेगा।

(छ): दिशानिर्देशों के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(ज): सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए 30.04.2020 को अपनी वेबसाइट पर मसौदा दिशानिर्देशों को अपलोड किया था। लोक सेवा प्रसारण के लिए बाध्यता के प्रावधान को 12.11.2008 को जारी "प्रसारण और वितरण कार्यकलापों में कुछ संस्थाओं के प्रवेश से संबंधित मुद्दे" विषय पर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों पर दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। ट्राई ने पारदर्शिता की भावना को ध्यान में रखते हुए और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करते हुए, सम्यक तत्परता के साथ इस विषय पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया था।

****